

**अपील संख्या 2017/00076 बउनवानी भंवरलाल बनाम शंकर
वगैरह, आदेश दिनांक 09.08.2018**

वकील प्रार्थी श्री उदयसिंह चौधरी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा हो जाने के कारण अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपील को नोट प्रेस में खारिज फरमाई जावे। अतः वकील प्रार्थी अपील को आगे नहीं चलाने जाने के कारण अपील नोटस प्रेस में खारीज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हों।